न्यायालय में, सदस्य महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, म0प्र0

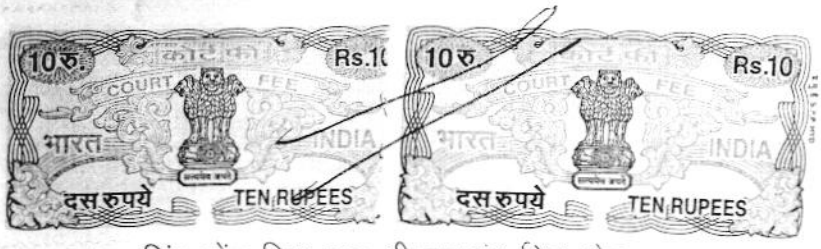

Rs.201/-

513

R - 2791 - II / 14

सूदन सिंह गोंड पिता स्व0 श्री रामानंद सिह गोड,
निवासी वार्ड नम्बर 22 नरसरहा तालाब के पास शहडोल,
तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल म0प्र0 ---- निगरानीकर्ता

बनाम

1– मोहम्मद जैनुद्दीन पिता राज मोहम्मद अंसारी,
2– मोहम्मद मानुद्दीन पिता राज मोहम्मद अंसारी,
दोनों निवासी गोरतरा पेट्रोल पम्प के सामने मेसर्स मार्डन कोल्ड
टायर रिट्रेडिंग कम्पनी बुढ़ार रोड शहडोल, तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल म0प्र0
3– अनिल रोहरा पिता स्व0 श्री नंदलाल रोहरा निवासी राजेन्द्र टाकीज के पीछे शहडोल, थाना व
जिला शहडोल म0प्र0 ---- उत्तरदातागण

सुप्रिया विश्वकर्मा एड. आज दिनांक 8.8.14 को किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर ,शहडोल के राजस्व प्रकरण क0 1/अपील /20012–13 मे पारित आदेश दिनांक–31.5.2014,
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959

मान्यवर

21-8-14

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी पेश कर विनय है कि–

## मामले के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम गोरतरा पटवारी हल्का गोरतरा पूर्व हल्का जमुई, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नम्बर 31 पुराना नम्बर 6/2 रकवा 2.00 एकड आराजी स्व0 श्री रामानंद गोड पिता श्री छोटू गोंड के भूमिस्वामित्व की आराजी थी जो कि वर्ष 1958–59 मे रामानंद सिंह गोंड के नाम से बतौर भूमिस्वामी दर्ज है । तथा वर्ष 1972–73 के अधिकार अभिलेख मे भी रामानंद सिंह गोंड पिता श्री छोटू सिंह का नाम बतौर भूमिस्वामी दर्ज है । रामानंद सिंह गोंड आवेदक/ निगरानीकर्ता के पिता थे जिनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजी का वारिस व उत्तराधिकारी आवेदक/ निगरानीकर्ता है । निगरानीकर्ता के पिता का नाम वर्ष 1982 तक उपरोक्त सम्पूर्ण आराजी पर बतौर भूमिस्वामी दर्ज है । इस प्रकार से उपरोक्त विवरण की आराजी निगरानीकर्ता /आवेदक की पुस्तैनी आराजी है । जिस पर निगरानीकर्ता /आवेदक काविज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है ।

2– यह कि उपरोक्त विवरण की आराजी के अंश रकवा 0.28 एकड मे उत्तरदाता कमांक 2 मोईनुद्दीन व जुज रकवा 0.28 एकड पर अनावेदक कमांक 1 जैनुद्दीन ने फर्जी तरीके से अपने नाम से कपटपूर्व निगरानीकर्ता /आवेदक के चोरी छिपे पट्टा बनवा लिया व मौके से आराजी पर कब्जा

2

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक- निग.-2791-दो/2014** जिला-शहडोल

**सूदन सिंह गोंड विरूद्ध मोहम्मद जैनुददीन आदि**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुद्रिका विश्वकर्मा उपस्थित।<br>3. यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक- 01/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31-05-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~31-08-2014~~ 08/08/2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>5. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय | |

22/01/19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के.जैन) 22/01/19
सदस्य